बिहार सरकार

अररिया समाहरणालय
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं0 : 06453-222001(का0)
06453-222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453-222124
Email : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

संभावित बाढ़ 2016 के मद्देनजर नाव क्रय हेतु निविदा दिनांक 30.06.2016 को आमंत्रित की गई थी, जिसमें छह फर्म द्वारा निविदा डाली गई थी, जिसे क्रय समिति के समक्ष खोला गया। जिसमें तकनीकि रूप से सभी निविदा सही पाया गया एवं वित्तीय पक्ष में चार निविदादाता द्वारा एक ही दर न्यूनतम दिया गया। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जिला क्रय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्णियाँ जिला द्वारा बड़ी नाव का क्रय हेतु 124925/-(एक लाख चौबीस हजार नौ सौ पचीस) रूपये निर्धारित किया गया है। उक्त दर के अनुसार ही अररिया जिला के लिये नाव क्रय किया जाएगा। वर्त्तमान में बाढ़ को देखते हुए प्राप्त निविदा के वित्तीय पक्ष में न्यूनतम दर देनेवाले चार फर्म से पूर्णियाँ जिला द्वारा निर्धारित दर के अनुसार नाव आपूर्ति करने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के ज्ञापांक 335/आ0प्र0 दिनांक 21.07.2016 द्वारा संबंधित फर्म से सहमति प्राप्त करने हेतु पत्र दिया गया। जिसमें वर्त्तमान में दो फर्म **मेसर्स शिव शक्ति फर्नीचर हाउस, हसनपुर, रानीगंज एवं मेसर्स महावीर फर्नीचर उद्योग, फोर्ड कम्पनी, एन0एच0-31, पूर्णियाँ** द्वारा लिखित सहमति पत्र के माध्यम से पूर्णियाँ जिला द्वारा बड़ी नाव क्रय हेतु निर्धारित दर **मो0 124925/-(एक लाख चौबीस हजार नौ सौ पचीस) रूपये** पर बड़ी नाव आपूर्ति करने हेतु लिखित सहमति पत्र प्राप्त है।

अतः उक्त फर्म से प्राप्त सहमति पत्र के आलोक में अररिया जिला अंतर्गत अंचल अधिकारियों से प्राप्त अधियाचना के अनुसार तत्काल 20 (बीस) बड़ी नाव आपूर्ति करने हेतु **मेसर्स शिव शक्ति फर्नीचर हाउस, हसनपुर, रानीगंज एवं मेसर्स महावीर फर्नीचर उद्योग, फोर्ड कम्पनी, एन0एच0-31, पूर्णियाँ** को निम्नांकित शर्त के अनुरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या में बड़ी नाव आपूर्ति करने का आपूर्ति आदेश दिया जाता है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्त्ता फर्म का विवरण	आकार	मात्रा	निर्धारित दर	नाव की विशिष्टियाँ
1	शिव शक्ति फर्नीचर हाउस, हसनपुर, रानीगंज (अररिया)	25'X6'X2'	10 (दस) बड़ी नाव	124925.00 (सभी कर सहित)	1. नीचे तरी-तख्ता-मोटाई 1.25 इंच 2. तारी की चौड़ाई- 72 इंच (06 फीट) 3. तरी की लम्बाई- 20 फीट 4. तरी पर सपोटर मोटाई- 4" X 2" 14 पीस 5. बगली-तख्ता की मोटाई-1 इंच-26'X2' X' (दोनो साईड) 6. बगली दिवाल-तख्ता पर सपोटर की मोटाई-4" X 2"(दोनो साईड)-14पीस 7. बगली के दोनो साईड बंधन बती-उपरी भाग-3"X1.25" (दोनो साईड) 8. रस्सी बाँधने वाला खुंटा- 3" X 2.5" 02 पीस 9. मलाह मांग पाटन दोनो साईड-तख्ता 01 इंच नीचे सपोटर 4"X2" दोनो साईड (05 फीट लम्बाई में) 10. उपरी भाग सपोटर (गुरहा)-4" X 2" 04 पीस 11. आगे-पीछे मांग 6"X4"X3.5' 02 पीस
2	मेसर्स महावीर फर्नीचर उद्योग, फोर्ड कम्पनी, एन0एच0-31 पूर्णियाँ	25'X6'X2'	10 (दस) बड़ी नाव	124925.00 (सभी कर सहित)	
	कुल-		20 (बीस) बड़ी नाव		

आवश्यक शर्तें-

1. नाव सखुआ की लकड़ी का होना चाहिए।
2. आपूर्तिकर्त्ता को नाव की आपूर्ति उपर दिये गये विवरण के आलोक में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।
3. आपूर्ति करनेवाली नावों की गुणवत्ता/विशिष्टियाँ की जाँच निम्न पदाधिकारियों द्वारा नाव बनाने के स्थान पर जाकर किया जायेगा।
   - I. जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, अररिया
   - II. वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया
   - III. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया
   - IV. मोटरयान निरीक्षक, अररिया

4. आपूर्तिकर्त्ता को आदेश दिया जाता है कि वे 15 दिनों के अंदर अविलम्ब नाव की आपूर्ति उचित साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुरूप करेंगे। आपूर्तिकर्त्ता को आवश्यकतानुसार नाव अंचलों को उपलब्ध कराना होगा। इसके लिये कोई अग्रिम एवं अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।

5. आपूर्तिकर्त्ता को प्रति नाव के साथ आवश्यक सामग्री यथा रस्सा मोटावाला 50 फीट, पत्तवार एवं लंगड़ आदि सामग्री भी देना होगा।

6. नाव की आपूर्ति ससमय नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध काननूी कार्रवाई करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

7. आपूर्तिकर्त्ता आपूरित नावों के देख-भाल, उपयोग एवं रख-रखाव के संदर्भ में कम से कम पाँच व्यक्तियों को अनुमंडलवार प्रशिक्षित करेंगे ताकि भविष्य में रख-रखाव की समस्या न हो।

8. आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

9. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक...3547.../आ0प्र0, अररिया, दिनांक...23/...7...../2016

प्रतिलिपि : शिव शक्ति फर्नीचर हाउस, हसनपुर, रानीगंज एवं मेसर्स महावीर फर्नीचर उद्योग, फोर्ड कम्पनी, एन0एच0-31, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, अररिया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया/मोटरयान निरीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया/आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज/सभी अंचल अधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 23/7/16
जिला पदाधिकारी,
अररिया